

आदेश

16 JU 2021

माननीय सिविल सेवा अधील अधिकरण, जयपुर में दायर अधील संख्या 1574/02 द्वारा श्री अखिलानन्द भार्गव बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 23.05.2016 की अनुपालना में राजस्थान खान एवं भूविज्ञान सेवा नियम, 1960 के नियम 23 के अन्तर्गत गठित पुनरायलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित अधीक्षण भूविज्ञानिक को उनके सम्मुख अंकित रिक्तियों के विरुद्ध कार्यग्रहण करने की दिनांक से अतिरिक्त निदेशक (भूविज्ञान) के पद पर वरिष्ठता—सह—योग्यता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नति किया जाता है:-

निम्नांक

५६/०८/१९९१

वर्ष 2018-19(रिव्यू)

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	श्रेणी
1.	श्री एस.एन.डोडिया	अ.जा.
2.	श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल	सामान्य
3.	श्री अखिलानन्द भार्गव	सामान्य
4.	श्री बी.एस.राठौड़	सामान्य

वर्ष 2019-20(रिव्यू)

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	श्रेणी
1.	श्री अजय शर्मा	सामान्य
2.	श्री धर्मेन्द्र शर्मा	सामान्य
3.	श्री अनिल कुमार वर्मा	सामान्य

पदोन्नत अधिकारीगण यथावत अपने कार्यस्थल पर पूर्व की भाँति कार्यरत रहेंगे। वर्ष 2018-19 में क्र.सं. 3 पर अंकित श्री अखिलानन्द भार्गव राज्य सेवा से सेवानिवृत हो चुके हैं, अतः उन्हें पदोन्नति पर वेतन, भत्तों का लाभ नोशनल देय होगा।

नोट:- उपरोक्त पदोन्नति लंबित न्यायिक वाद यदि कोई हो के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन परिवर्तनशील रहेगी।

आज्ञा से

—५९—
(नीतू बारूपाल)
शासन उप सचिव

इतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशेष सहायक, मा.मंडी, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजगेर।
4. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर।
5. ✓ अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन), खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
6. संबंधित अधिकारी मार्फत निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर।
7. निजी पञ्चावली।
8. रक्षित पञ्चावली।

श.पान उप सचिव